संख्या-19/2026/554के-2/22-3-2025-17(987)/2019

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 16 जनवरी, 2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मोहन सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह, निवासी जनपद- बरेली की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-16636/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम0-01.05.2023) दिनांक-19.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मोहन सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह, ग्राम-मोहम्मदगंज, थाना-मीरगंज, जनपद-बरेली का निवासी है। प्रथम वाद–पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 16.11.2002 को बन्दी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चे से गोली मारकर पिन्कू सिंह व दंगल सिंह नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। द्वितीय वाद में दिनांक-04.08.1990 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर तौती सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-389/2003 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/149, 201, 147, 148 में मा० अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट, कोर्ट संख्या-02, बरेली के आदेश दिनांक 30.11.2004 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। द्वितीय वाद में सत्र परीक्षण संख्या- 693/1994 में आई0पी0सी की धारा-302 में सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-13, बरेली के आदेश दिनांक 24.07.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में समक्ष लम्बित है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बरेली द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा ठीक नहीं है अभी भी दोनों पक्षों में विवाद होने की पूर्ण सम्भावना होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी द्वारा प्रथम वाद में 02 व्यक्तियों की हत्या एवं द्वितीय वाद में 01 व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। वाद में इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई आख्या का विरोध किये जाने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मोहन सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी मोहन सिंह (बन्दी संख्या-40739) पुत्र श्री गोविन्द सिंह, निवासी जनपद-बरेली को फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार बंदी के फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बरेली।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 19/2026/554के-2/22-3-2025-17(987)/2019

दिनांक 16 जनवरी, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मोहन सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह, ग्राम-मोहम्मदगंज, थाना-मीरगंज, जनपद-बरेली का निवासी है। प्रथम वाद–पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 16.11.2002 को बन्दी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चे से गोली मारकर पिन्कू सिंह व दंगल सिंह नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। द्वितीय वाद में दिनांक-04.08.1990 को बन्दी ने अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर तौती सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-389/2003 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/149, 201, 147, 148 में मा० अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट, कोर्ट संख्या-02, बरेली के आदेश दिनांक 30.11.2004 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। द्वितीय वाद में सत्र परीक्षण संख्या-693/1994 में आई0पी0सी की धारा-302 में सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-13, बरेली के आदेश दिनांक 24.07.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में समक्ष लम्बित है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बरेली द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा ठीक नहीं है अभी भी दोनों पक्षों में विवाद होने की पूर्ण सम्भावना होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी द्वारा प्रथम वाद में 02 व्यक्तियों की हत्या एवं द्वितीय वाद में 01 व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। वाद में इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई आख्या का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मोहन सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in